माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

मूल- क्षेत्राधिकार

कंपनी अधिनियम 1956 एवं कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत

एवं

मेसर्स स्वेन प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन-में) के अंतर्गत

कंपनी पिटीशन क्रमांक-19/2000

ऋणदाताओं,लेनदारों एवं पूर्व कर्मचारियों/श्रमिकों को अपना दावा सिद्ध करने हेतु सूचना

उपरोक्त नामांकित कंपनी के ऋणदाताओं, लेनदारों एवं पूर्वकर्मचारियों/श्रमिकों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा कंपनी को दिये गये ऋण अथवा दावे की राशि जो उक्त कंपनी से वसूल करना हो, उसके तत्संबंधी प्रमाण दिनांक 28/02/2018 तक या उसके पूर्व माननीय उच्च न्यायालय (म.प्र.), जबलपुर के शासकीय समापक के कार्यालय, प्रथम तल, ओल्ड सी.आय.ए. भवन, जी.पी.ओ. के सामने, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (म.प्र.), पिन कोड नं.-452001, में प्रस्तुत करें या इस प्रकार भेजें कि उपरोक्त तिथि के पश्चात् नहीं पहुचें तथा अपने ऋण या दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र अपने नाम, पते एवं ऋण अथवा दावे के विवरण सहित प्रस्तुत करें, जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 530 के अंतर्गत प्राथमिकता यदि कोई हो, तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख हो।

यदि कोई ऋणदाता, लेनदार एवं पूर्व कर्मचारी/श्रमिक उक्त उल्लेखित निर्धारित समयावधि के अंदर अपने ऋण अथवा दावे के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करने में त्रुटि करेगा या प्रस्तुत नहीं करेगा तो वह कंपनी के डिविडेंड/ लाभांश वितरण के लाभ से वंचित रहेगा और साथ ही ऐसे वितरण के संबंध में उसे आपत्ति करने का अधिकार भी नहीं रहेगा।

ऐसा ऋणदाता, लेनदार एवं पूर्व कर्मचारी/श्रमिक जिसके द्वारा प्रमाण प्रस्तुत/प्रेषित कर दिया हो, उसे शासकीय समापक द्वारा लिखित में सूचना द्वारा निर्देशित करने पर आवश्यकता अनुसार नियत समय एवं स्थान पर जो कि सूचना में उल्लेखित होगा, अपना ऋण अथवा दावे की जाँच के लिये स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहना होगा एवं तत्संबंधी अन्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जो भी आवश्यक हो।

हस्ते/-
(सीताराम एस. गुप्ता, आईसीएलएस)
शासकीय समापक
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर (म.प्र.)
प्रथम तल, ओल्ड सी.आय.ए. भवन,
जी.पी.ओ. के सामने, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (म.प्र.)

दिनांक :- 22/01/2018
स्थान :- इंदौर
दूरभाष नं. :- 0731-2710568